

वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में ई-लाटरी के उपरान्त व्यवस्थापन से अवशेष जनपद बलरामपुर की देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुरंगत नियमावलियों एवं आदेशों के अधीन वर्ष 2018-19 के लिए

जनपद बलरामपुर की प्रथम चरण, द्वितीय व तृतीय चरण की ई-लाटरी के उपरान्त अवशेष 07 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी प्रणाली द्वारा दुकान चार किया जायेगा। किसी दुकान के लिए आवेदन कर्ता द्वारा स्वयं के नाम से एक तथा सहआवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। किसी भी आवेदक के पक्ष में (स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ) एक जनपद में समी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, नीयर एवं मॉडल शाप्पा) कुल मिलाकर 02 से अधिक दुकाने आवंटित नहीं की जायेगी। यदि किसी को प्रथम चरण व द्वितीय चरण में दुकान का आवंटन हुआ है तो जितनी दुकान का आवंटन हुआ है उनको 02 से घटाकर ही दुकानों का आवंटन किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आन लाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे।

उपरोक्तानुसार दुकान के आवेदन पत्र हेतु आन लाइन वेबसाइट www.upexciseelottery.gov.in पर प्रोसेसिंग फीस एवं प्रोसेसिंग फीस पर देय जी0एस0टी0 आन लाइन जमा करना अनिवार्य है। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार देय धरोहर धनराशि (देशी मदिरा दुकान की वेशिक लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत एवं विदेशी मदिरा, तथा नीयर लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत) के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति, फोटो, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, नवीनतम आयकर विवरणी, पैन कार्ड, वॉछित धनराशि का वैध हैसियत प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आन लाइन अपलोड करना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदन कर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त देय धनराशि अथवा वॉछित अगिलेख आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं किये जाते हैं तो उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। चयनित आवेदकों द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि आवंटित दुकान की देय वेशिक / लाइसेंस फीस की धरोहर धनराशि में समायाजित कर ली जायेगी। ई-लाटरी से सम्बन्धित सुरंगत सूचना को आवकारी विभाग की वेबसाइट www.upexciseonline.in पर प्रदर्शित किया गया है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में व्यवस्थापन के उपरान्त अवशेष देशी शराब, दुकानों की सूची एवं विवरण निम्नवत् है—

क्र.	देशी शराब दुकान का नाम	प्रास्थिति	वार्षिक एग0जी0क्यू0, (36 प्रतिशत वी/वी0 के टर्ग में)	वेशिक लाइसेंस फीस, ₹0 में	लाइसेंस फीस, ₹0 में	धरोहर धनराशि, ₹0 में	प्रतिगृति धनराशि, ₹0 में	आवेदक एवं सह आवेदक (यदि कोई है)की वॉछित हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	विशुनापुर	ग्रामीण	29160	816480	6473520	81648	647352	
2	जनकपुर	ग्रामीण	8856	247968	1966032	24796.8	196603.2	1215000
3	आदमडीह	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	369000
4	भगवानपुर खादर	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
5	भंगहाकला	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
6	गैजहवा	ग्रामीण	6600	184800	1465200	18480	146520	275000
7	ककरा	ग्रामीण	11340	317520	2517480	31752	251748	275000
								472500

वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण के व्यवस्थापन के उपरान्त उपरोक्त अवशेष देशी मदिरा फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु समय सारिणी:

1	जनपद की देशी शराब, के वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थित करने के लिए आन लाइन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 20.04.2018 को सांय 5.00 बजे से
2	ई लाटरी हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 24.04.2018 को रात्रि 11.30 बजे तक
3	ई लाटरी की तिथि व समय एवं स्थल	26.04.2018 को प्रातः 10 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार


नोट:- ई-लाटरी से सम्बन्धित किसी पृच्छाओं के समाधान के लिए कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आवकारी निरीक्षकों के मोबाइल नम्बर 9454466245, 9454466246, 94544665642, 9532996258, 9454467054 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।


जिला आवकारी अधिकारी
बलरामपुर।

संख्या 25/तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तार जनपद बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में डी0ए0वीपी0 दर पर न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।


जिला आवकारी अधिकारी
बलरामपुर।